

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2015 का आपराधिक विविध सं. 9188

थाना कांड संख्या-521 वर्ष-2008 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया, से उत्पन्न

=====

अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद पुत्र स्वर्गीय गोपी प्रसाद निवासी क्वार्टर संख्या 2032,
सेक्टर संख्या-5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो झारखंड।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड
संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया।

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

=====

के साथ

2015 की आपराधिक विविध संख्या 12122

थाना कांड सं.-243 वर्ष-2008 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया, से उत्पन्न

=====

अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद स्वर्गीय गोपी नाथ प्रसाद के पुत्र निवासी क्वार्टर संख्या
2032, सेक्टर-5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो झारखंड

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया के निवासी।

..... विपरीत पक्ष/गण

=====

विचाराधीन मुद्दा: भारतीय दंड संहिता की धारा 342,323,380 और 452/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी, इस तथ्य के बीच कि पक्षकारों के बीच उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता कार्यवाही से समझौता किया गया प्रतीत होता है, निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने से संबंधित मुद्दा,

वर्तमान खारिज करने वाली याचिका को भारतीय दंड संहिता की धारा 342,323,380 और 452/34 के तहत दंडनीय अपराध और याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा लिए गए आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। अभियुक्त के पिता ने ओ. पी. संख्या 2 के साथ एक समझौता/बिक्री विलेख किया, जिसमें लेन-देन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जिसके लिए पक्ष रुपये 2,00,000 की राशि याचिकाकर्ता के साथ रखने पर सहमत हुए। -क्योंकि वह दोनों पक्षों के लिए जाना जाता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब किसी भी कारण से पक्षों के बीच समझौता विफल हो गया तो सूचना देने वाले सुबोध कुमार पटेल ने प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में नहीं बल्कि जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया क्योंकि यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई थी और उस पर रुपये 2,00,000- के साथ भरोसा

किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया गया था-उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को भेजे गए आगे के विवाद-सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाए गए-पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए।

आयोजित किया गया: यह अभिनिर्धारित किया गया कि तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए क्योंकि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही से मामला में समझौता प्रतीत होता है, कानूनी कार्यवाही जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगा।तदनुसार, इसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ संज्ञान का विवादित आदेश, जिसके कारण याचिकाकर्ता उद्भूत होता है, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादों को उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाता है और पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाता है।

उषा चक्रवर्ती और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट, जैसा कि (2023) एस. सी. सी. एससी 90 ऑनलाइन में बताया गया है। [पैरा 7 पर चर्चा की गई]

परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम.केरल राज्य, कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा, हरियाणा राज्य बनाम।भजन लाल, निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य-[चर्चा पैरा 7]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2015 का आपराधिक विविध सं. 9188

थाना कांड संख्या-521 वर्ष-2008 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया, से उत्पन्न

=====

अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद पुत्र स्वर्गीय गोपी प्रसाद निवासी क्वार्टर संख्या 2032,
सेक्टर संख्या-5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो झारखंड।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड
संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया।

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

=====

के साथ

2015 की आपराधिक विविध संख्या 12122

थाना कांड सं.-243 वर्ष-2008 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया, से उत्पन्न

=====

अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद स्वर्गीय गोपी नाथ प्रसाद के पुत्र निवासी क्वार्टर संख्या
2032, सेक्टर-5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो झारखंड

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया के निवासी।

..... विपरीत पक्ष/गण

उपस्थिति

(2015 की आपराधिक विविध संख्या 9188 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजय कुमार पांडे नंबर-5, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/पक्षों के लिए अधिवक्ता : श्री मुस्ताक आलम, स.लो.अ.

(2015 की आपराधिक विविध संख्या 12122 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजय कुमार पांडे नंबर-5, अधिवक्ता

: श्री सुधांशु कुमार, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/पक्षों के लिए : श्री आदित्य नारायण सिंह 1, स.लो.अ.

वि.प. सं.2 के लिए : श्री रंजन कु. सिंह, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख: 06.03.2024

2015 का आपराधिक विविध सं.9188

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका को 2008 के खगड़िया थाना कांड संख्या 521 में पारित दिनांक 29/10/2009 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 323, 380 और 452/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था।

3. अभियोजन का संक्षिप्त मामला जैसा कि शिकायत संख्या 347/2008 (जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी) से प्रतीत होता है कि 30.03.2008 पर लगभग 09:00 बजे अपराह्न, पी. एम., रात में याचिकाकर्ता ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया, हमला किया और कुछ सामान छीन लिए, जैसा कि शिकायत याचिका में वर्णित है; जब सूचना देने वाला मालगोदाम रोड, खगड़िया में अपने बहनोई मनीष कुमार के घर में बैठा था। याचिकाकर्ता के बारे में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि उसने शिकायतकर्ता के बहनोई मनीष कुमार की उंगली से सोने की अंगूठी छीन ली। याचिकाकर्ता पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने शिकायतकर्ता और उसके बहनोई के साथ दुर्व्यवहार और धमकी दी है।

4. यह याचिकाकर्ता विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के दामाद प्रबंधक संवर्ग में बोकारो स्टील प्लांट (सेल) के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त स्वर्गीय हरिहर प्रसाद ने वि.पक्ष सं. 2 सुबोध कुमार पटेल के साथ एक समझौता/बिक्री विलेख किया था, जिसमें लेन-देन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, जिसके लिए पक्षों 2,00,000/- रुपये की राशि रखने पर सहमत हुए थे। 2,00,000-याचिकाकर्ता के साथ क्योंकि वह दोनों पक्षों के लिए जाना जाता था। उक्त राशि याचिकाकर्ता द्वारा सेंट्रल बैंक, खगड़िया शाखा, खाता संख्या 6250 के साथ अलग बैंक खाते में चेक संख्या 00933222 के माध्यम से जमा 15.03.2007 की गई थी। जिसे समझौते के

परिणाम के अनुसार संबंधित को प्रतिपूर्ति की जानी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब किसी कारण से पक्षों के बीच समझौता विफल हो गया तो सूचना देने वाले सुबोध कुमार पटेल ने वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में नहीं बल्कि जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई थी 2,00,000/- का आरोप-पत्र भी सौंपा और उसके खिलाफ भा.दं.सं की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2,00,000/-रु. का आरोप-पत्र सौंपा गया था, जिसके लिए 21-12-2010 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता लाभार्थी नहीं था और उसका कार्य भी मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से बेईमान नहीं लग रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद इस उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया गया, जिसने निम्नलिखित शर्तों में सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता किया, जिन पर पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। पटना उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की निपटान शर्तों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र

समझौता ज्ञापन

2023 की मध्यस्थता कार्यवाही सं.245

[आ. विविध 2015 की सं.9188 से उत्पन्न आ.वि. 2015 की सं.12122] के साथ

पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में 18.10.2023 को किया गया समझौता, अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद, स्वर्गीय

गोपी प्रसाद के बेटे, क्वार्टर सं.2032, सेक्टर सं.5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड के निवासी।

----- याचिकाकर्ता (प्रथम पक्ष)

और

सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया के निवासी।

-----विरोधी पक्ष सं.--- 2 (द्वितीय पक्ष)

दोनों पक्ष अपने विद्वान वकीलों के साथ मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थित हुए और निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए तैयार थे।

1. कि दोनों संबंधित पक्षों अर्थात् अनंत कुमार प्रसाद और सुबोध कुमार पटेल ने इस मध्यस्थता कार्यवाही के लंबे विचार-विमर्श में सहयोग किया है और उनके बीच विवाद को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं। जो दिनांक 15.03.2006 के बिक्री समझौते से उत्पन्न हुआ है और उसकी सत्यता भी विवाद में थी। बिक्री का उक्त समझौता खगड़िया के गोदाम रोड पर स्थित भूखंड के 2546.39 वर्ग फुट के लिए था।

2. कि सभी अग्रिम धन पर विचार करने के बाद, सभी रियायतों में कटौती की गई और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा गया। इस बात पर सहमति बनी है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 के

सुबोध कुमार पटेल भूमि मालिक श्री राजेश कुमार, श्री राकेश कुमार, संजीव कुमार और प्रेमा देवी के पक्ष में डाक दिनांकित चेक के माध्यम से कुल राशि 28,50,000/- (अट्ठाईस लाख पचास हजार रुपये) की राशि निम्नलिखित तरीके से देंगे:-

क्रम सं.	चेक सं.	तिथि	राशि	जमीन का मालिक
1	000003	26.10.2023	8,00,000/-	राजेश कुमार के नाम पर
2	000006	03.11.2023	8,00,000/-	श्री राकेश कुमार
3	000007	15.12.2023	8,00,000/-	श्री संजीव कुमार
4	591286	05.01.2024	4,50,000/-	श्रीमती प्रेमा देवी

3. कि विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात् सुबोध कुमार पटेल ने 28,50,000/-(अट्ठाईस लाख पचास हजार रुपये) रुपये की राशि जमीन के मालिक देने पर सहमति व्यक्त की। जिसमें से यूको बैंक शाखा कहागिया के चेक सं.000003 दिनांकित 26.10.2023 वाली रु. 8,00,000/-(आठ लाख रुपये) की राशि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राजेश कुमार को दी जाती है। स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राकेश कुमार के नाम पर यूको बैंक शाखा कहागैया के चेक सं.000006 दिनांकित 03.11.2023 वाली रु. 8,00,000/-(आठ लाख रुपये) की राशि दी गई है। यूको बैंक शाखा कहागिया के चेक सं.000007 दिनांकित 15.12.2023 वाली रु. 8,00,000/-(आठ लाख रुपये) की राशि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र संजीव कुमार के नाम

पर दी गई है और रु. 4,50,000-(चार लाख पचास हजार रुपये) स्वर्गीय हरिहर प्रसाद की पत्नी प्रेमा देवी के नाम पर बिहार गार्मिन बैंक मथुरापुर, खगड़िया का चेक सं.591286, दिनांक 05.01.2024।

4. कि सभी चेक स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राजेश कुमार नामक भूमि मालिकों में से एक को सौंप दिए गए हैं और सभी चेकों की फोटो कॉपी रिकॉर्ड में रखी गई है।

5. दोनों पक्षों में सहमति हुई कि 24,00,000/-(चौबीस लाख रुपये) की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विक्रय विलेख सुबोध कुमार पटेल की पत्नी सीमा रानी के पक्ष में निष्पादित किया जा जाएगा तथा रजिस्ट्री के पश्चात् 4,50,000/-रु.(चार लाख पचास हजार रुपये) की धनराशि दी जाएगी तथा उतनी ही धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् चिरकुट का मूल प्रती सीमा रानी, पत्नी सुबोध कुमार पटेल को सौंप दी जाएगी।

6. उसके बाद सुबोध कुमार पटेल और संबंधित व्यक्ति राजेश कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार, प्रेमा देवी और अनंत कुमार प्रसाद खगड़िया के विभिन्न न्यायालयों या अन्य न्यायालयों में लंबित सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में समझौता याचिकाएं दायर करेंगे।

7. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भुगतान, बिक्री विलेख के निष्पादन और समझौता याचिका दायर करने के बाद मार्च, 2024 तक सभी कवायद पूरी कर ली जाएगी।

8. कि दोनों पक्ष जीवन के सभी कठिन चरणों को भूलने के बाद अपने अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहाल करने और स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के समय की तरह अपने अंतर-पारिवारिक संबंध को बहाल करने पर सहमत हुए।

9. कि समझौते की उपरोक्त सामग्री को पढ़ा गया है और हिंदी में समझाया गया है, जिसे पक्षों द्वारा पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया गया है।

इसलिए, उपरोक्त नियमों और शर्तों में पक्षों के बीच एक समझौता हो गया है और दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

6. वि.प.सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त विद्वान स.लो.अ. ने पुष्टि की कि इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष मामले से समझौता किया गया है और अब तक, पक्षों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी प्रतिवेदन का हवाला दिया, जैसा कि **उषा चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है जैसा **(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 90**। पैराग्राफ संख्या (ओं) । 6, 7, 8, 9 और 10 जो नीचे लिखा है: को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

6. परमजीत बत्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:-

“12. उच्च न्यायालय की संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा। इस शक्ति

का उपयोग संयम से और केवल किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है। शिकायत किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दीवानी लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में आपराधिक बनावट भी हो सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या एक विवाद जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई दीवानी उपचार उपलब्ध है और वास्तव में, अपनाया गया है जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।”

7. वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:—

“13. यह सच है कि तथ्यों का एक निश्चित समूह एक दीवानी अपराध के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा है कि शिकायत

में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था जो भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की। ”

8. कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियारों में बदलने की अनुमति नहीं है।

9. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ पहले के निर्णयों पर भी विचार किया और निम्नानुसार निर्णय दिया:—

(1) जहाँ प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाता है।

(2) जहाँ प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहाँ संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी

विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान संस्था और निरंतरता पर एक स्पष्ट कानूनी रोक है। कार्यवाही और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

10. निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम.महाराष्ट्र राज्य, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:—

“57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

i) पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति 'दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम' में सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। (धारा 482 दं.प्र.सं के तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामले मानक हैं। को उस मानदंड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है);

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) किसी शिकायत/प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए:-

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो

विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्यापक नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक विश्वकोश नहीं है जिसे प्रतिवेदित किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/प्राथमिकी जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में

कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष एक उचित प्रतिवेदन/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान दंडाधिकारी द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 दं.प्र.सं के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) हलांकि, साथ ही, यदि न्यायालय उचित समझे, तो उसे निरस्तीकरण के मानदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम, विशेष रूप से आर.पी. कपूर(ऊपर) और भजन लाल(ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकी/शिकायत को निरसित करने का अधिकार है, और

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है, तो अदालत जब धारा 482 दंड संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करती है तो केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं और गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोप संज्ञेय अपराध हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होगी।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही से मामला समझौता प्रतीत होता है, कानूनी कार्यवाही जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगा। तदनुसार, 2008 के खगड़िया थाना कांड संख्या 521 में पारित, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया के समक्ष लंबित है, याचिकाकर्ता के सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ दिनांक 29.10.2009 के संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।

9. आवेदन की अनुमति है।

10. इस आदेश की एक प्रति तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

2015 की आपराधिक विविध संख्या 12122

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को 2008 के खगड़िया थाना कांड संख्या 243 में पारित दिनांक 21.12.2010 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी 1 प्रथम श्रेणी, खगड़िया ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था।

3. संक्षिप्त अभियोजन मामले से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में मुखबिर सुबोध कुमार पटेल और आरोपी व्यक्ति (स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के बेटे) पारिवारिक मित्र हैं। स्वर्गीय हरिहर प्रसाद, अपने जीवनकाल में, सुबोध कुमार पटेल से पैसे उधार लेते थे और इसके बदले उन्होंने सुबोध कुमार पटेल की पत्नी के पक्ष में कुछ बिक्री विलेख किए थे।

उस क्रम में, केवल पहले से लिए गए कुछ पैसे की भरपाई के लिए, हरिहर प्रसाद ने विवादित भूमि के लिए एक बिक्री विलेख निष्पादित करने का वादा किया है। लेकिन खातों में विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दुर्भाग्य से, उसके बाद हरिहर प्रसाद की मृत्यु हो गई। इसके बाद भारी बाढ़ के कारण भूमि का पंजीकरण नहीं हो सका। वर्तमान में जब स्व. हरिहर प्रसाद के पुत्र ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से पहले लेखांकन और भुगतान संतुलन पर जोर दिया, वर्तमान संघर्ष और अभियोजन उत्पन्न हुआ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों और उनके पिता ने 15.03.2007 को खगड़िया नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कुछ संपत्तियों की बिक्री के लिए अनुबंध किया है। पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि 15.09.2007 तक पक्षों के बीच बिक्री विलेख निष्पादित किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन पर किया जाएगा। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति बिक्री को अंजाम नहीं दे रहे हैं और उन्होंने बातचीत में कुछ भौतिक तथ्यों को दबा दिया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के दामाद प्रबंधक संवर्ग में बोकारो स्टील प्लांट (सेल) के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त स्वर्गीय हरिहर प्रसाद ने वि.प.सं. 2 सुबोध कुमार पटेल के साथ एक समझौता/बिक्री विलेख किया था, जिसमें लेन-देन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, जिसके लिए पक्ष 2,00,000/- रुपये की राशि याचिकाकर्ता के पास रखने पर सहमत हुए थे। क्योंकि वह दोनों पक्षों के लिए जाना जाता था। उक्त राशि याचिकाकर्ता द्वारा खाता 00933222 15.03.2007 को दिनांक 15.03.2007 को चेक सं. 00933222 के माध्यम से सेंट्रल बैंक, खगड़िया शाखा, खाता सं. 6250 में अलग बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे समझौते के अनुसार संबंधित को वापस किया जाना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब किसी भी कारण से पक्षों के बीच समझौता विफल हो गया तो सूचना देने वाले

सुबोध कुमार पटेल ने वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में नहीं बल्कि जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई थी और उस पर 2,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 21.12.2010 के विवादित आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त कारण से मुखबिर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 342, 323, 380 और 452/34 के तहत अपराधों के लिए 2008 का खगड़िया थाना कांड संख्या 521 के रूप में मामला दर्ज किया, जो इस अदालत के समक्ष मध्यस्थता पर समझौता प्रतीत होता है, जब याचिकाकर्ता ने याचिका को रद्द करने को प्राथमिकता दी। विविध। 2008 का खगड़िया थाना कांड सं. 521 रद्द करने के लिए 2015 का सं. 9188।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता लाभार्थी नहीं था और उसका कार्य भी मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से बेईमान नहीं लग रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद इस उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किए गए हैं, जो निम्नलिखित शर्तों में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गए, जिन पर पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। पटना उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की निपटान शर्तों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है-

पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र समझौता ज्ञापन

2023 की मध्यस्थता कार्यवाही सं.245

[आ. विविध सं. 9185/2015 से उत्पन्न आ.वि. सं. 12122/2015 के साथ]

पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में 18.10.2023 को अनंत कुमार प्रसाद उर्फ ए. के. प्रसाद, स्वर्गीय गोपी प्रसाद के बेटे, क्वार्टर सं.2032, सेक्टर सं.5 ए, बोकारो स्टील सिटी, थाना-बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो के निवासी, झारखंड के बीच एक समझौता हुआ।

--- याचिकाकर्ता (प्रथम पक्ष)।

और

सुबोध कुमार पटेल, स्वर्गीय शिव नारायण सिंह के पुत्र, मोहल्ला-दान नगर, वार्ड संख्या 1, थाना और जिला-खगड़िया के निवासी।

-----विपक्षी पक्ष सं.--- 2 (दूसरा पक्ष)

दोनों पक्ष अपने विद्वान वकीलों के साथ मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थित हुए और निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए तैयार थे:-

1. कि दोनों संबंधित पक्षों अर्थात् अनंत कुमार प्रसाद और सुबोध कुमार पटेल ने इस मध्यस्थता कार्यवाही के लंबे विचार-विमर्श में सहयोग किया है और उनके बीच विवाद को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं। जो दिनांक 15.03.2006 के बिक्री समझौते से उत्पन्न हुआ है और उसकी सत्यता भी विवाद में थी। बिक्री का

उक्त समझौता खगड़िया के गोदाम रोड पर स्थित भूखंड के 2546.39 वर्ग फुट के प्लॉट सं. 9426 के लिए था।

2. कि सभी अग्रिम पैसा पर विचार करने के बाद, सभी रियायतों में कटौती की गई और पक्षों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा गया। इस बात पर सहमति बनी है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 के सुबोध कुमार पटेल भूमि मालिक श्री राजेश कुमार, श्री राकेश कुमार, संजीव कुमार और प्रेमा देवी के पक्ष में उत्तर दिनांकित चेक के माध्यम से कुल 28,50,000/-रु. (अट्ठाईस लाख पचास हजार रुपये) की राशि निम्नलिखित तरीके से देंगे:-

क्रमांक सं.	चेक सं.	तिथि	राशि	जमीन का मालिक
1	000003	26.10.2023	8,00,000/-	राजेश कुमार के नाम पर
2	000006	03.11.2023	8,00,000/-	श्री राकेश कुमार
3	000007	15.12.2023	8,00,000/-	श्री संजीव कुमार
4	591286	05.01.2024	4,50,000/-	श्रीमती प्रेमा देवी

3. कि विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात् सुबोध कुमार पटेल ने 28,50,000- (अट्ठाईस लाख पचास हजार रुपये) रुपये की राशि भूमि मालिकों को देने पर सहमति व्यक्त की। भूमि मालिकों को जिसमें से यूको बैंक शाखा कहागिया के चेक सं.000003 दिनांकित 26.10.2023 वाली रु. 8,00,000-(आठ लाख रुपये) की राशि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राजेश कुमार को दी जाती है।

रु. 8,00,000-(पटना उच्च न्यायालय सी. आर. आठ लाख रुपये) वाला चेक यूको बैंक शाखा खगड़िया का दिनांक 03.11.2023 सं.000006 स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राकेश कुमार के नाम पर दिया गया है। यूको बैंक शाखा खगड़िया के चेक सं.000007 दिनांकित 15.12.2023 वाली रु. 8,00,000-(आठ लाख रुपये) की राशि स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र संजीव कुमार के नाम पर दी गई है और रु. 4,50,000-(चार लाख पचास हजार रुपये) स्वर्गीय हरिहर प्रसाद की पत्नी प्रेमा देवी के नाम पर बिहार ग्रामिण बैंक मथुरापुर, खगड़िया का चेक सं.591286, दिनांक 05.01.2024।

4. कि सभी चेक स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के पुत्र श्री राजेश कुमार नामक भूमि मालिकों में से एक को सौंप दिए गए हैं और सभी चेकों की फोटो कॉपी अभिलेख में रखी गई है।

5. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 24,00,000/-रु. (चौबीस लाख रुपये) की राशि प्राप्त करने के बाद बिक्री विलेख का निष्पादन सुबोध कुमार पटेल की पत्नी सीमा रानी के पक्ष में किया जाएगा रजिस्ट्री के बाद 4,50,000/-रु. की धनराशि दी जाएगी और वही राशि बिक्री विलेख में अंकित की जाएगी और उक्त राशि प्राप्त होने के बाद चिरकुट की मूल प्रति सिमा रानी पत्नी सुबोध कुमार पटेल को सौंप दी जाएगी।

6. कि उसके बाद सुबोध कुमार पटेल और संबंधित व्यक्ति राजेश कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार, प्रेमा देवी और अनंत कुमार प्रसाद खगड़िया के विभिन्न न्यायालयों या अन्य न्यायालयों

में लंबित सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में समझौता याचिकाएं दायर करेंगे।

7. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि सभी भुगतान, बिक्री विलेख के निष्पादन और समझौता याचिका दायर करने के बाद की प्रक्रिया मार्च, 2024 तक पूरी की जाएगी।

8. कि दोनों पक्ष जीवन के सभी कठिन चरणों को भूलने के बाद अपने अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहाल करने और स्वर्गीय हरिहर प्रसाद के समय की तरह अपने अंतर-पारिवारिक संबंध को बहाल करने पर सहमत हुए।

9. कि समझौते की उपरोक्त सामग्री को पढ़ा गया है और हिंदी में समझाया गया है, जिसे पक्षों द्वारा पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया गया है।

इसलिए, उपरोक्त नियमों और शर्तों के तहत पक्षों के बीच एक समझौता हो गया है और दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

6. वि.प.सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त विद्वान स.लो.अ. ने पुष्टि की कि इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष मामले से समझौता किया गया है और अब तक, पक्षों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है।

7. विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट का उल्लेख किया, जैसा कि उषा चक्रवर्ती एवं एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक

अन्य जैसा कि (2023) एस सी सी ऑनलाईन 90 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया था और पैराग्राफ संख्या (ओं) 6,7,8,9 और 10 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो नीचे लिखा है:

6. परमजीत बता बनाम उत्तराखंड राज्य, में इस न्यायालय ने निर्णय दिया:—

“12. उच्च न्यायालय की संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा। इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है। शिकायत किसी दंडनीय अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दीवानी लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में आपराधिक स्वरूप भी हो सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या एक विवाद जो अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई दीवानी उपचार उपलब्ध है और वास्तव में, अपनाया गया है जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।”

7. वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:—

“13. यह सच है कि तथ्यों का एक समूह एक दीवानी गलती के साथ-साथ एक दंडनीय अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक दंडनीय कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था जो कि भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की।”

8. कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियारों में बदलने की अनुमति नहीं है।

9. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ पहले के निर्णयों पर भी विचार किया और निम्नानुसार निर्णय दिया:—

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि प्रा.सू.प्र. के साथ, संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हुए, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहाँ एक पुलिस अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी के आदेश के बिना

किसी भी जांच की अनुमति नहीं है जैसा कि संहिता की धारा 155

(2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

10. निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम.महाराष्ट्र राज्य, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:—

“57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

i) पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत रद्द करने के लिए इसके आवेदन में दुर्लभतम मामलों को मानक माना जाता है। उस मानक को मृत्यु दंड संदर्भ में तैयार किए गए मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है।

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) किसी शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण का खुलासा। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/प्राथमिकी जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान दंडाधिकारी द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 दं.प्र.सं के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) तथापि, एक ही समय में, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को देखते हुए, प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। और

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो अदालत जब धारा 482 दं.प्र.सं के तहत शक्ति का प्रयोग करती है। तो केवल इस बात पर विचार करना है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं और गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोप एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होगी।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही से मामला समझौता प्रतीत होता है, कानूनी कार्यवाही जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगा। तदनुसार, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, खगड़िया के समक्ष लंबित, 2008 के खगड़िया थाना कांड संख्या 243 में पारित की गई अपनी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ, याचिकाकर्ता, 21.12.2010 दिनांकित संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।

9. आवेदन की अनुमति है।

10. इस आदेश की एक प्रति तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति.)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।